

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31072025-265130
SG-DL-E-31072025-265130असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 148
No. 218]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947	[N. C. T. D. No. 148

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-1) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना

दिनांक 30 जुलाई, 2025

संख्या 03/2025-राज्य कर (दर)

सं. फा. 3 (17)/वित्त (व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/721.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की अनुमोदनाओं पर एतद् द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2017 की फा0सं0 3(56)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/ डीएस-VI/762 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV की धारा 3 की उप-धारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना संख्या 39/2017-राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में, शब्दों और प्रतीकों, "(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित आईसीडीएस या इसी प्रकार की योजना हेतु

फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स) आपूर्ति " के अंत के उपरांत शब्दों और प्रतीकों, "(ग) उपरोक्त (क) हेतु खाद्य इनपुट" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

टीपः—मूल अधिसूचना संख्या 39/2017—राज्य कर (दर) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2017 की फा0सं0 3(56)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/762 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 10.03.2022 की फा0 सं0 3 (50)/वित्त (व्यय-1) 2021-22/डीएस-1/137 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2021—राज्य कर (दर) द्वारा संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविंदर कुमार, संयुक्त सचिव (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5 मुख्य सचिव के कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

NOTIFICATION

Delhi, 30th July, 2025

No. 03/2025-State Tax (Rate)

No. F.3 (17)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 721.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 39/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (56)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/762, dated 27th November , 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols“(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government”, the words and symbols, “(c) food inputs for (a) above.” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

Note:—The principal notification number 39/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (56)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/762 dated 27th November, 2017 and was last amended vide notification number 11/2021-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (50)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/137, dated 10/03/2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

RAVINDER KUMAR, Jt. Secy. (Fin.)

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31072025-265127
SG-DL-E-31072025-265127असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 147
No. 217]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947	[N. C. T. D. No. 147

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

संख्या 08/2025-राज्य कर (दर)

फा.सं. (16)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/720.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की अनुसंधानों पर, एतद् द्वारा दिनांक 30.06.2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/375 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना संख्या 17/2017-राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् : -

- उक्त अधिसूचना के, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"निर्दिष्ट परिसर" का वही अभिप्राय है जो दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) के परिच्छेद 4 के खंड (xxxvi) में यथा निर्दिष्ट है।"

2. यह अधिसूचना 01अप्रैल, 2025 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविंदर कुमार, संयुक्त सचिव (वित्त)

टीपः—मूल अधिसूचना संख्या 17/2017—राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017 की फा0 सं0 3 (15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/375 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 21.12.2023 की फा0 सं0 3 (17)/वित्त (व्यय-I) 2023-24/डीएस-I/1069 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 16/2023—राज्य कर (दर) द्वारा संशोधित किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, 30th July, 2025

No. 08/2025-State Tax (Rate)

F. No. F.3 (16)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/720.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 17/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375, dated 30/06/2017 namely:-

1. In the said notification, in the *Explanation*, for item (c), the following shall be substituted, namely,-
““specified premises” has the same meaning as assigned to it in clause (xxxvi) of paragraph 4 of notification number 11/2017-State Tax (Rate) dated 30.06.2017.”.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

RAVINDER KUMAR, Jt. Secy. (Fin.)

Note: - The principal notification number 17/2017 –State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/375, dated 30/06/2017 and was last amended by notification number 16/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub Section (i) vide number F.3 (17)/Fin(Exp-I) 2023-24/DS-I/1069 dated 21/12/2023.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31072025-265128
SG-DL-E-31072025-265128असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 216]
No. 216]दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947
DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947[रा.रा.क्षे.दि. सं. 146
[N. C. T. D. No. 146भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

संख्या 05/2025-राज्य कर (दर)

फा0सं0 3(15)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/719.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (1),(3) एवं (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) तथा धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की अनु'ंसाओं पर एतद् द्वारा दिनांक 30.06.2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/381 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उप-धारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,—

(i) दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी स्पष्टीकरण से संबंधित परिच्छेद 4 में —

(क) खंड (xxxv) का विलोप किया जाएगा;

(ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xxxvi) किसी वित्तीय वर्ष हेतु “विनिर्दिष्ट परिसर” से अभिप्रेत है -

- (क) ऐसा परिसर जहां से आपूर्तिकर्ता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ऐसी 'होटल आवास' सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रतिदिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; अथवा
- (ख) ऐसा परिसर जिसके लिए 'होटल आवास' सेवा की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी को या उसके पश्चात् तथा 31 मार्च तक उक्त परिसर को विनिर्दिष्ट परिसर घोषित किया है; अथवा
- (ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विनिर्दिष्ट परिसर घोषित किया है;”

(ii) अनुलग्नक VI के पश्चात्, निम्नलिखित अनुलग्नकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“अनुलग्नक VII

पंजीकृत व्यक्ति हेतु ऑफ्ट-इन घोषणा (परिच्छेद 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा की आपूर्ति करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष परिसर को 'विनिर्दिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या -

दिनांक : -

1. मैं/हम..... (व्यक्ति का नाम) एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि
.....(पता).....पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष.....(वर्ष)..... के लिए 'विनिर्दिष्ट परिसर' होगा।
2. इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूँ/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपर्युक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी तथा बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुलग्नक IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके घोषित नहीं करता हूँ/करते हैं, तब तक परिसर 'विनिर्दिष्ट परिसर' के रूप में नहीं है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

(दिनांकित पावती)

टीप:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विनिर्दिष्ट परिसर' के रूप में घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात्, लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक दाखिल की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुलग्नक VIII

पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑफ्ट-इन घोषणा (परिच्छेद 4(xxxvi) देखें)

क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विनिर्दिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या—

दिनांक : —

1. मैं/हम..... (व्यक्ति का नाम) ने एआरएन संख्या..... के द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन किया है तथा एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि.....(पता)..... पर स्थित परिसर पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विनिर्दिष्ट परिसर' होगा।

2. इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूँ/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम अनुलग्नक IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके घोषित नहीं करता हूँ/करते हैं, तब तक परिसर 'विनिर्दिष्ट परिसर' के रूप में नहीं है।

विधिक नाम : —

एआरएन: —

पैन संख्या —

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

(दिनांकित पावती)

नोट : उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

ऑफ्ट-आउट घोषणा
(परिच्छेद 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष परिसर को 'विनिर्दिष्ट परिसर' के रूप में घोषित नहीं करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या—

दिनांक: —

1. मैं/हम..... (व्यक्ति का नाम) एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि (पता).....पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष.....(वर्ष)..... के लिए 'विनिर्दिष्ट परिसर' नहीं होगा।
2. इसके अतिरिक्त, मैं समझता हूँ/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपर्युक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी तथा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम अनुलग्नक VII में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके घोषित नहीं करता हूँ/करते हैं, तब तक परिसर 'विनिर्दिष्ट परिसर' के रूप में होगा।

विधिक नाम: —

जीएसटीआईएन/एआरएन: —

पैन संख्या

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

(दिनांकित पावती)

टीप:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विनिर्दिष्ट परिसर' के रूप में घोषित नहीं करने वाली उपरोक्त घोषणा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके पश्चात्, लेकिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक दाखिल की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविंदर कुमार, संयुक्त सचिव (वित्त)

नोट:— मूल अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30.06.2017 की फा0 सं0 3 (15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/381 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 08.01.2025 की फा0 सं0 3 (21)/वित्त (व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/34 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 07/2024-राज्य कर (दर) द्वारा संशोधित किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 30th July, 2025

No. 05/2025-State Tax (Rate)

No. F.3 (15)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/719— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 11/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated 30-06-2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) in paragraph 4 relating to *Explanation*, with effect from the 1st day of April, 2025,-
- (a) clause (xxxv) shall be omitted;
- (b) for clause (xxxvi),the following clause shall be substituted, namely:-
- “(xxxvi)“Specified premises”, for a financial year, means,-
- (a) a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year, ‘hotel accommodation’ service having the value of supply of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent; or
- (b) a premises for which a registered person supplying ‘hotel accommodation’ service has filed a declaration, on or after the 1st of January and not later than 31st of March of the preceding financial year, declaring the said premises to be a specified premises; or
- (c) a premises for which a person applying for registration has filed a declaration, within fifteen days of obtaining acknowledgement for the registration application, declaring the said premises to be a specified premises;”;
- (ii) after Annexure VI, the following Annexures shall be inserted, namely:—

“Annexure VII**OPT-IN DECLARATION FOR REGISTERED PERSON***(See para 4(xxxvi))***Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a ‘specified premises’.**

Reference No.-

Date: -

1. I/We (name of Person) do hereby declare that the premises at(address)..... shall be a ‘specified premises’ for the Financial Year(yyyy-yy).....
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a ‘specified premises’ by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as a 'specified premises' for a Financial Year, shall be filed by a registered person on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure VIII

OPT-IN DECLARATION FOR PERSON APPLYING FOR REGISTRATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a person applying for registration before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

1. I/We (name of Person) have applied for registration *vide* ARN No. and do hereby declare that the premises at(address)..... shall be a 'specified premises' from the effective date of registration till the end of the Financial Year.
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note: The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure IX

OPT-OUT DECLARATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises as not a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

1. I/We (name of Person) do hereby declare that the premises at(address)..... shall not be a 'specified premises' for the Financial Year(yyyy-yy).....

2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises to be a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure VII.

Legal Name: -

GSTIN/ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as not a 'specified premises', for a Financial Year, shall be filed on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.”

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Jt. Secy. (Fin.)

Note: The principal notification number 11/2017 –State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated 30/06/2017 and last amended *vide* notification number 07/2024-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (21)/Fin(Exp-I)/2024-25/DS-I/34, dated 08/01/2025.